

16/6/25



पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल राजस्व वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल राजस्व वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल राजस्व वाद के साथ-साथ उक्त राजस्व आवेदन इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफतर हो एवम् नम्बर से कम हो।



सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

